न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 207/20 दायरा दिनांक :–21.09.2020 निर्णय दिनांक :– 09.04.2021

1. संदीप कुमार पुत्र जयसिंह
2. रिंकू पुत्र जयसिंह
3. किताब देवी पत्नी जयसिंह जातियान जाट निवासीयान बिरोद तहसील मुण्डावर।
4. मनीषा पुत्री जयसिंह पत्नी मनोज कुमार निवासी बिरोद हाल शीलगॉव तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति – श्री अशोक चौधरी प्रथम– वकील वादीगण।

–:निर्णयः–

दिनांक :– 09.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 606/0.37 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मिनवादीगण के पिता/पति की खरीदशुदा आराजी रही है तथा वे अपने जीवनकाल में काबिज रहे है तथा फौतगी पर मिनवादीगण काबिज है तथा अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसीलिए उन [illegible] नहीं बनाया गया है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिनवादीगण के पिता/पति [illegible] मौका व खिलाफ कानून जयसिंह के स्थान पर जले[illegible]कर दिया [illegible] मिनवादीगण को भारी नुकसान हो रहा है तथा विरासत इंतकाल [illegible] रहे है जबकि मिनवादीगण के पिता/पति के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, [illegible]न पत्र आदि में जयसिंह पुत्र रामसिंह ही दर्ज है। आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर हाल विवादित आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:26:51 IST
Reason: SelfAttested

८५६–
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

बाबत दर्ज पिता/पति का नाम जलेसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर जयसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे एवम हम वादीगण को कब्जेकाश्त खातेदार घोषित किया जावे एवम इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया। मुताबिक जवाब वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे अंकित है। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल हाल जमाबंदी, इंतकाल संख्या 119 वाके ग्राम लामचपुर, बैयनामा दिनांक 05.12.1983 एवम मृत्यु प्रमाण पत्र जयसिंह की छायाप्रति पेश की तथा शपथ पत्र राजेन्द्र पुत्र रामसिंह पेश किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्रों के जिमनों को दोहराते हुये विवादित आराजी वादीगण के पिता/पति जयसिंह की जरिये बैयनामा दिनांक 05.12.1983 खरीदशुदा आराजी होना एवम मुताबिक बैयनामा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद न होकर जयसिंह के बजाय अंकित जलेसिंह नाम को हजफ किया जाकर सही नाम जयसिंह दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन करते हुये मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र पिता/पति जयसिंह के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन रहा। वकील वादी की बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी हाल ख0न0 606/0.37 है0 के 1/4 भाग वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पिता/पति का नाम जलेसिंह को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम उसके स्थान पर जयसिंह नाम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह रजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:26:51 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह रजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 207/20 दायरा दिनांक :—21.09.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :— 09.04.2021

1. संदीप कुमार पुत्र जयसिंह
2. रिंकू पुत्र जयसिंह
3. किताब देवी पत्नी जयसिंह जातियान जाट निवासीयान बिरोद तहसील मुण्डावर।
4. मनीषा पुत्री जयसिंह पत्नी मनोज कुमार निवासी बिरोद हाल शीलगॉव तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 09.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः—**

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी हाल ख0न0 606/0.37 है0 के 1/4 भाग वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पिता/पति का नाम जलेसिंह को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम उसके स्थान पर जयसिंह नाम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:26:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0